



F-07-08  
F-07-11

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU – 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं. 1058 का संशोधन सहित नवीकरण**  
**Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1058**

**विषय/Sub: विमानन टरबाइन फ्यूल (के-50)**  
**Aviation Turbine Fuel ( K – 50 )**

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई-400 020, द्वारा नियंत्रक विनिर्देश सं. आईएस:1571: 2008 (आठवीं रिविज़न) के लिए उनके विशाख रिफाइनरी, आंध्र प्रदेश, विकसित एवं उत्पादित "विमानन टरबाइन फ्यूल केरोसिन टाइप (के-50) " को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1058, दिनांक 11 फरवरी 2004, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1058 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1058/2आर, दिनांक: 09 दिसम्बर 2013 द्वारा दूसरी बार नवीकरण किया गया जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2018 तक है।

*This is to state that the "Aviation Turbine Fuel Kerosene Type (K - 50)", to Governing Specification No.; IS:1571:2008 (Eighth Revision), produced by M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited, Mumbai – 400 020 at their Vishakh Refinery, Andhra Pradesh, was issued with Type Approval No.: 1058 vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1058 dated: 11<sup>th</sup> February 2004. It was subsequently renewed second time vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1058/2R, dated: 09<sup>th</sup> December 2013 with its validity up to 31<sup>st</sup> December 2018.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2019 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफएंडएफ-एफओएल), सेमिलैक, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01<sup>st</sup> January 2019 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31<sup>st</sup> December 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, Bengaluru – 560 017, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1058, दिनांक 11 फरवरी 2004 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

*The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1058, dated: 11<sup>th</sup> February 2004 is amended as stated herewith.*


“अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”


*“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the enclosed Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

*All other conditions stipulated in the initial type approval letter remain unaltered, and fully applicable.*

सं. / No.: सेमिलैक /CEMILAC/ 5070 /टी.ए /TA-1058/3R  
दिनांक / Date: 18 December 2018  
फैक्स सं./ Fax No: 080-25230856

  
पी . जयपाल/ P. JAYAPAL  
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist  
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/  
Chief Executive (Airworthiness)

  
14/12/2018  
JR  
18/12